न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 170/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 भुपाराम पुत्र रामाराम जाति सुथार निवासी बेरीवाला तला, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर।		1 रामाराम पुत्र वीराराम 2 जीयाराम 3 जसाराम 4 हरूराम पिसरान रामाराम 5 पूनमाराम 6 शेराराम 7 धर्माराम 8 जवाराराम 9 चेतनराम पिसरान वीरमाराम जाति सुथार निवासी बेरीवाला तला, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर 10 तहसीलदार बाडमेर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री पन्नाराम जांगीड़, वकील वादी।
2. श्री दुर्गाराम पूनिया, वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04।

निर्णय

दिनांक 12.05.19

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 वीरमाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की पैतृक भूमि मौजा ढाढीसर पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1342 रकबा 64.17 बीघा, मौजा गोदरासर पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1504/1230 रकबा 48.00 बीघा, मौजा सनुराताल पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 952 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 954 रकबा 36.03 बीघा व खसरा संख्या 1392 रकबा 25.03 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता वीरमाराम की फौतगी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम व प्रतिवादी संख्या 05 से 09 के नाम दर्ज हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04, प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने का वादी अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04, प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा जन्म से निहित है। वादी को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वकील प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की और से इकबाली जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित अनुसार उनका भी हिस्सा पृथक करने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों के वकुलाय द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी, प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 वादी संख्या 01 के साथ सखा खातेदार घोषित करवाकर अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा ढाढीसर पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1342 रकबा 64.17 बीघा, मौजा गोदरासर पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1504/1230 रकबा 48.00 बीघा, मौजा सनुराताल पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 952 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 954 रकबा 36.03 बीघा व खसरा संख्या 1392 रकबा 25.03 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का का 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.12.18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 भुपाराम पुत्र रामाराम जाति सुथार निवासी बेरीवाला तला, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर।		1 रामाराम पुत्र वीराराम 2 जीयाराम 3 जसाराम 4 हरूराम पिसरान रामाराम 5 पूनमाराम 6 शेराराम 7 धर्माराम 8 जवाराराम 9 चेतनराम पिसरान वीरमाराम जाति सुथार निवासी बेरीवाला तला, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर 10 तहसीलदार बाडमेर ।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 170/2019
निर्णय दिनांक :– ....15.5.19........

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....15.5.19...... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा ढाढीसर पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1342 रकबा 64.17 बीघा, मौजा गोदरासर पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1504/1230 रकबा 48.00 बीघा, मौजा सनुराताल पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 952 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 954 रकबा 36.03 बीघा व खसरा संख्या 1392 रकबा 25.03 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का का 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख ..15.5.19.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये प्र प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.01.20 16:17:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: